



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273547  
CG-DL-E-17062026-273547

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 438]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा.का.नि. 489(अ).— केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) दूसरा संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 के नियम 18 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्लिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

“(3) प्रत्येक उपस्कर के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र की मान्यता के नवीनीकरण के समय दस हजार रुपये की फीस संदेय होगी।”

[फा. सं. I-30/1/2025-डब्ल्यूएंडएम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 593(अ) तारीख 5 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 346 (अ) तारीख 08 मई, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

**G.S.R. 489(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, namely:-

**1. (1) Short title and commencement.-** These rules may be called the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Second Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 in rule 18, for sub-rule (3), the following shall be substituted:-

“(3) A fee of rupees ten thousand shall be payable at the time of renewal of recognition of a Government Approved Test Centre for a period of one year in respect of each equipment.”

[F. No. I-30/1/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 593 (E), dated the 5th September, 2013 and was last amended *vide* number G.S.R. 346 (E), dated 8<sup>th</sup> May, 2026.